भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2943

(मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण, 1947(शक) को उत्तर के लिए)

सिक्किम में कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू किया जाना

2943 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 सिक्किम राज्य में लागू है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद पंजीकृत कंपनियों की संख्या क्या है तथा क्या राज्य में एक भी कंपनी पंजीकृत नहीं है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सिक्किम में कंपनी का पंजीकरण मौजूदा कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम 1961 के तहत किया जाना आवश्यक है या फिर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत संरक्षित कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम 1961 को कमज़ोर करने के कारण क्या हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी नहीं। तथापि, ट्रिप ऑफ लाइफटाइम ट्रैवलट्रेक प्राइवेट लिमिटेड तथा पाण्डिम ऑनलाइन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दो कंपनियाँ सिक्किम राज्य के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निगमित की गई थीं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अलग से उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 कंपनी अधिनियम, 1956 की निरसन एवं व्यावृत्तियां प्रावधानों से संबंधित है, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (3) में कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 को निरस्त करने का प्रावधान है, किन्तु इसे निरस्त नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 08.08.2013 को राज्यसभा में हुई बहस के दौरान उस समय के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 को सिक्किम में लागू करने से पूर्व सिक्किम सरकार से परामर्श किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सिक्किम सरकार से सहमति प्राप्त करने हेतु अनेक पत्र लिखे गए हैं, तथापि, अभी तक उक्त सहमति प्राप्त नहीं हुई है। कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण सिक्किम अधिनियम, 1961 में किसी प्रकार की विलयन नहीं किया गया है।

*****